न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 28 / 2020

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार (भूमिधारी) रानीवाडा जिला जालोर	1. कैलाशराम पुत्र तिकमा 2. जोशनादेवी पत्नि तिकमा 3. दिपाराम पुत्र तिकमा जातियान कोली 4. नरसीराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल 5. भारतीकुमारी पुत्री तिकमा 6. मथुराराम पुत्र तिकमाा जातियान कोली 7. माधाराम पुत्र पदमाराम जाति मेघवाल निवासीयान धानोल तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी राजपेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 4 ,5 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 25.11.2021

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा धानोल के खसरा नम्बर 539 रकबा 1.23 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई हैं। जिसमें मौके पर कृषि योग्य भूमि को खुर्द बुर्द करके दुकान का निर्माण कर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है। कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण व आवंटन कराये बिना किसी सक्षम अधिकारी ने स्वीकृति लिये दुकान बनाकर व्यावसायिक उपयोग में ले रहे है। अतः मौजा धानोल के खसरा नम्बर 539 रकबा 1.23 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत बेदखली व उनके खातेदारी अधिकारी समाप्त कर उक्त 60 गुणा 24 वर्गफूट (133.82 वर्गमीटर) भूमि को सिवायचक कराने की कृपा करावे ।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 6 के नोटिस बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी संख्या 4 व 7 की ओर से वकील [illegible] पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उप[illegible] प्रकरण में [illegible] आराजी मौजा धानोल में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 539 रकबा 1.23 हेक्टेयर में अप्रार्थीगण ने कोई दूकान नहीं बनाई हैं तथा न ही उक्त आराजी का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। उक्त आराजी में अप्रार्थीगण ने फसल संग्रहण व आवास हेतु 60 गुणा 24 फीट में टीन शेड का निर्माण किया हैं। मौका फर्द दिनांक 15.07.2020 अप्रार्थीगण की पीठ पीछे अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से तैयार की गई है। उक्त आराजी में हमने फसल संग्रहण एवं रहवास हेतु निर्माण गलतीवश करवाया था। हम प्रकरण हाजा के निस्तारण के तीन माह के भीतर उक्त आराजी का संपरिवर्तन करवा देगें। इसलिये प्रकरण हाजा की कार्यवाही को ड्रोप किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः जवाब मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि उपरोक्त अनवान प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप करने के आदेश फरमावें।

4. हमने राजपेरोकार व अप्रार्थीगण के विद्वांन अधिवक्ता की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस के तथ्य पर मनन किया गया । हस्तगत प्रकरण में जमाबंदी सवंत 2074–77 में खाता संख्या 184 में खसरा संख्या 539 में खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 तक खातेदार दर्ज है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 तक फसल संग्रहण व रहवास हेतु टीनशेड का निर्माण करवाया गया था। जिससे भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 4 व 7 की तरफ से वकील श्री जबराराम जवाब व बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया गया है। जिसको नियमों के अंतर्गत नियमित करवाने की कार्यवाही करना चाहता हु जिसके लिए मूझे समय 3 माह दिया जावें। परन्तु इस प्रकरण में इतना लम्बा समय दिया जाना इस प्रकरण में उचित नही मानता हूं अतः एक माह का अवसर प्रदान किया जाता है। तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवधी में उक्त आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ नियमों के तहत नियमितिकरण कराने की कार्यवाही कर उसकी सूचना इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त समयावधि में किसी प्रकार की कार्यवाही नही करने की स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार (प्रार्थी पक्ष) द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिसिवर की हैसियत से अप्रार्थीगण की आराजी का कब्जा राजहक में ले सकेगा। अतः उक्त प्रार्थना पत्र उक्त स्थिति में निर्णित किया जाता है, एवं निर्णय की पालना करवाने हेतु प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थीगण पक्ष को निर्णय की प्रति भेजकर पाबंद किया जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.12.31 14:50:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर